बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक– 29

दिनांक 9.5.2006

सेवा में,

मुख्य सचिव, बिहार, पटना

आयुक्त एवं सचिव,
खाद्य आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग, बिहार, पटना

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना

सचिव, कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग, बिहार, पटना

मुख्य मंत्री के सचिव, बिहार, पटना

विषयः– खाद्य, आपूर्ति एवं वाणिज्य विभाग के पत्रांक–162 दिनांक–16/01/2006 में दिये गये मार्गदर्शन के अनुपालन करने के विरूद्ध श्री संदीप पौण्ड्रिक, भा० प्र० से० जिलाधिकारी, गया द्वारा श्री प्रमोद कुमार बिहारी, बि० प्र० से० अनुमण्डल पदाधिकारी, गया को प्रताड़ित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 162 दिनांक– 16/01/2006 में निम्नलिखित निर्देश दिये गये है : –

(1) अनुमंडल के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा कैलेण्डर वर्ष (माह जनवरी से दिसम्बर) के अंतर्गत उनके समस्त क्रिया–कलाप से संबंधित अभिलेख अनुमंडल आपूर्त्ति प्रभाग में जमा कराया जाये ।

(2) जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं से संबंधित अभिलेखों को अनुमंडल प्रभाग में जमा कराने की जिम्मेवारी संबंधित अनुमंडल के सहायक जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी की होगी ।

(3) कैलेण्डर वर्ष प्रारंभ होने पर संबंधित प्रखंड आपूर्त्ति पदाधिकरी/पणन पदाधिकारी/आपूर्त्ति निरीक्षक द्वारा जन वितरण प्रणाली विक्रेता/किरासन तेल ठेला भेंडरों का नया अभिलेख विगत वर्ष का अभिलेख जमा कराने के बाद ही संधारित करायेगें।

(4) जन वितरण प्रणाली विक्रेता/किरासन तेल ठेला भेंडरों द्वारा जमा कराये गये अभिलेखों के अनुरक्षण एवं उसके रख रखाव की जिम्मेवारी संबंधित अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी की होगी ।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक–

दिनांक.....

2. चूँकि **जन वितरण** प्रणाली विक्रेता/किरासन तेल ठेला भेंडरों द्वारा जमा कराये गये अभिलेखों **के संधारण एवं** उसकी जॉच कि लिए अनुमंडल पदाधिकारी को जिम्मेवार बनाया गया है इसलिए **इसी पत्र के आ**लोक में श्री प्रमोद कुमार बिहारी, बि० प्र० से० अनुमंडल पदाधिकारी, गया **सदर, ने अभिलेखों** की जॉच एवं संधारण के क्रम में उचित मूल्य विक्रेताओं के भंडार पंजी, **वितरण पंजी इत्यादी की** जॉच हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उनके द्वारा ज्ञापांक–227 (आर) **दिनांक– 27/03/2006** निर्गत किया जिसकी सूचना जिला पदाधिकारी कार्यालय को भी दी **गयी और पंजी/वित**रण की जॉच अनुमंडल कार्यालय द्वारा प्रारंभ कर दी गयी ।

3. **यह व्यवस्था** इसलिए भी आवश्यक थी क्योंकि जब कभी खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्य **विभाग के पदा**धिकारी या कोई प्रशासनिक पदाधिकारी उचित मूल्य विक्रेताओं की दूकानों की **जॉच के लिए जाते** हैं तो वे दूकान बंद कर फरार हो जाते हैं । खाद्य आपूर्त्ति एवं वाणिज्य **विभाग द्वारा यह** परिपत्र इसलिए निर्गत किया गया है कि खाद्यान्न /किरासन तेल के उठाव की **जानकारी अनु**मंडल कार्यालय को हो क्योंकि बिना अनुमंडल कार्यालय के भंडार–पंजी के सत्यापन **के अगले माह** का आवंटन थोक मूल्य विक्रेताओं के द्वारा नहीं किया जायगा ।

4. **विदित** हो कि खाद्यान्न की आपूर्त्ति एवं वाणिज्य विभाग द्वारा यह परिपत्र निर्गत इसलिए **किया गया** क्यो कि पूर्व में जिला पदाधिकारी के कार्यालय से खाद्यान्न के आवंटन के उपरांत **बैंक ड्राफ्ट** आदि तैयार कर पणन पदाधिकारी (मार्केटिंग औफिसर) एवं आपूर्त्ति विभाग के अन्य **पदाधिकारियों** के द्वारा जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम के कार्यालय में जमा किये जाते **थे और** खाद्याान्न की आपूर्त्ति उचित मूल्य विक्रेताओं को सीधें की जाती थी जिसकी जानकारी **अनुमंडल पदा**धिकारी एवं उनके कार्यालय को नहीं होती थी और खाद्यान्ना ब्लैक मार्केट में बेंच **दिया जाता** था । फलस्वरूप उचित मूल्य विक्रेताओं की दूकान तक यह खाद्यान्न नहीं पहूँच पाता **था । खा**द्यान्न उचित मूल्य की दुकान तक पहूँचे और लाभाथियों के बीच सही तरीके से वितरण **हो ;** इसके लिए खाद्य आपूर्त्ति विभाग द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को जिम्मेवार बनाया गया है । **इसी के** आलोक में गया सदर के अनुमंडल पदाधिकारी, श्री प्रमोद कुमार बिहारी, बि० प्र० से० **द्वारा** ज्ञापांक निर्गत कर भंडार पंजी की जॉच प्रारंभ की गयी

5. जॉच प्रारंभ किये जाने पर अनुमंडल पदाधिकारी को जिला कार्यालय में बुलाकर जिला **पदा**धिकारी ने इस व्यवस्था को तत्काल रोक देने का आदेश दिया और उनके विरूद्ध बिना **आधार के** रिश्वतखोरी का आरोप लगाया । यह दुःखद बात है कि सरकार के आदेश का कोई **पदाधिकारी** अनुपालन करता हो तो उनके विरूद्ध वरीय पदाधिकारी (जिला पदाधिकारी , गया) **अपने व्यक्तिगत लाभ** के लिए सरकार को उनके विरूद्ध अनर्गल आरोप लगाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु अनुशंसा /अनुरोध करे ।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक–

दिनांक.....

6. जिला पदाधिकारी, गया ने न केवल सरकारी आदेश का अनुपालन करने से गया सदर के अनुमंडल पदाधिकारी को रोका ; बल्कि उनसे पंजी जॉच करने के संबंध में स्पष्टीकरण भी पूछा । स्पष्टीकरण दिनांक 05/05/2006 को पूछा गया और उनके विरूद्ध आयुक्त एवं सचिव, खाद्य, आपूर्त्ति एवं वाणिज्यकर विभाग, बिहार, पटना को उसके पूर्व ही दिनांक 02/05/2006 को अनुशांसनिक कार्रवाई हेतु अनुशंसा कर दी ।

7. स्पष्ट है कि स्पष्टीकरण पूछने की खानापूर्त्ति पूरी की गयी । क्योंकि दुर्भावना से प्रेरित होकर श्री पौण्ड्रिक ने अनु० पदाधिकारी, गया सदर के विरूद्ध सरकार को दिनांक 02/05/2006 को ही प्रतिवेदन भेज दिया था ।

8. विदित हो कि श्री प्रमोद कुमार बिहारी, अनु० पदाधिकारी, बि० प्र० से० वर्ष 2005 में गत विधान सभा चुनाव के समय उसी जिला के टिकारी अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे और श्री पौण्ड्रिक के नियम विरूद्ध (तुगलकी) आदेश नहीं मानने के कारण उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ा और श्री पौण्ड्रिक की अनुशंसा पर उन्हें टिकारी से हटाकर कार्मिक एवं प्र० सु० विभाग में पदस्थापन की प्रतीक्षा में भेज दिया गया ।

9. सरकार द्वारा पुनः श्री प्रमोद कुमार बिहारी, बि० प्र० से० , को अनु० पदाधिकारी, गया के रूप में पदस्थापित किया जाना श्री पौण्ड्रिक अपना अपमान समझते हैं और येन केन प्रकारेण श्री बिहारी को सबक सिखाने की ठान ली है । उन्होनें न केवल श्री बिहारी के विरूद्ध अनुशानात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है बल्कि नियमसंगत **कार्य** करने के बावजूद लोक अभियोजक (पी० पी०) से उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने **का परामर्श** भी मॉगा जो लोक अभियोजक द्वारा नहीं दिया गया ।

10. श्री बिहारी के समक्ष दो ही बातें थी : –

(क) पहली बात खाद्य एवं आपूर्त्ति **विभाग** द्वारा निर्गत परिपत्र के आलोक में पंजियों की जॉच करने के बाद उठाव की अनुमति **देते या फिर,**

(ख) दूसरी बात यह है कि जिला **पदाधिकारी के** निदेशानुसार इस सरकारी आदेश के आलोक में कोई कार्रवाई नहीं करते ।

11. जिला पदाधिकारी, गया, श्री पौण्ड्रिक **सरकारी** आदेशों की अवहेलना करने में अपना बड़प्पन समझते हैं । उन्होनें लाखों **रूपये का अपव्यय** कर अपने आवासीय परिसर, समाहरणालय परिसर का उन्नयन किया ।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–1

(पंजीयन–633/2003)

अध्यक्ष
कृष्ण मुरारी शर्मा
☎ : 2224282(O), 2353207(R)

महासचिव
विपिन कुमार सिन्हा
☎ : 2205421(R), 9835253822(M)

उपाध्यक्ष
भगलू रजक
सोहैब अहमद
संयुक्त सचिव
केशव कुमार सिंह
केशव रंजन प्रसाद
कोषाध्यक्ष
महेश प्रसाद गुप्ता
☎ : 2232755(O), 2262597(R)

पत्रांक–

दिनांक.....

12. मानपुर अंचल के अचंल पदाधिकारी, श्री आलोक कुमार का स्थानान्तरण इसी जिला के नीमचक बथानी अंचल में किया गया । मानपुर अंचल का प्रभार सरकारी आदेश के आलोक में उनके द्वारा सौंप दिया गया । इसी बीच मोटर सायकिल दुर्घटना में उनका पाँव टूट गया और वे मगध मेडिकल कॉलेज के परामर्श पर छुट्टी पर चले गये । उनका ईलाज अभी भी चल रहा है परन्तु जिला पदाधिकारी , श्री पौण्ड्रिक द्वारा उनके विरूद्ध राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को यह प्रतिवेदन भेजा गया कि वे जानबुझ कर नीमचक बथानी अंचल में योगदान नहीं कर रहे हैं इसलिए उनके विरूद्ध अनुशांसनात्मक कार्रवाई की
जाय ।

13. प्रश्न यह उठता है कि क्या किसी पदाधिकारी को ऐसी स्थिति में चिकित्सा में अवकाश में जाने का अधिकार नहीं हैं ? और क्या अंचल पदाधिकारी बंधुआ मजदूर होते हैं ?

14. हमें व्यक्तिगत जानकारी मिली है कि इनके तुगलकी आदेश के कारण जगजीवन कॉलेज, मानपुर में पुलिस फायरिंग होने पर वे घटनास्थल पर जाने से कतराने लगे और बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी/दंडाधिकारी को आक्रोशित जनता के सामने झोंक दिया । इतना ही नहीं ; गया जिला उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र है और यह कठिन क्षेत्र है परन्तु वहाँ जिला पदाधिकारी और आरक्षी अधीक्षक के साथ समन्वय नहीं है साथ ही बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी पदाधिकारी जिला पदाधिकारी से प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं और किसी भी समय स्थिति विस्फोटक हो सकती है और संघ को बाध्य होकर श्री पौण्ड्रिक के विरूद्ध आन्दोलनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करनी पड़ सकती है ।

15. हमें यह भी जानकारी है कि ये गया जिला में हमारे कनीय से लेकर वरीय पदाधिकारी को धमकी दे रहे हैं जिससे वहाँ के पदाधिकारियों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं हैं और वे अपने कार्यो के निर्वहन में कठिनाई अनुभव कर रहें हैं ।

16. संघ वाध्य होकर यह माँग करता है कि गया जिला में पदस्थापित सेवा के सभी पदाधिकारियों को उस जिला से स्थानान्तरित कर दिया जाय अथवा वहाँ के जिला पदाधिकारी, श्री पौण्ड्रिक को जिला पदाधिकारी के कार्य से मुक्त करते हुए उन्हें वहाँ से स्थानान्तरित करते हुए उनके विरूद्ध उच्चस्तरीय जाँच समिति गठित की जाय जिससे उनके द्वारा किये गये अँनियमित/भ्रष्ट कार्यो की जानकारी उजागर हो सके और उनके विरूद्ध नियमसंगत कार्रवाई की जा सकें ।

9/5/06

(विपिन कुमार सिन्हा)
महासचिव

9/5/2006

(कृष्ण मुरारी शर्मा)
अध्यक्ष

अनुलग्नक : –

श्री प्रमोद कुमार बिहारी, बि० प्र० से० द्वारा
प्रेषित स्पष्टीकरण सभी अनुलग्नक सहित ।